



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19092

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन, अं./धा. 482, सं. - 8761 वर्ष 2022

विद्या शुक्ला एवं 4 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, (गृह) लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुरेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार सिंह, देवांग सिंह,
राजेन्द्र प्रताप सिंह

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शा.अ., अंबिका प्रसाद मिश्रा, देवेन्द्र कुमार मिश्रा,
धर्मेन्द्र कुमार, हरीश चन्द्र तिवारी, श्रद्धा त्रिपाठी

आरक्षित: 27.01.2026

घोषित: 17.03.2026

अपलोडेड: 17.03.2026

न्यायालय सं. - 16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दं.प्र.सं.") की धारा 482 के अधीन यह वर्तमान

आवेदन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 19, सुल्तानपुर (संक्षेप में "मजिस्ट्रेट") के

न्यायालय में लंबित परिवाद वाद सं. 1604 वर्ष 2019 (बजरंग प्रसाद त्रिपाठी बनाम अजय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कुमार शुक्ल एवं अन्य) की दांडिक कार्यवाहियों और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 09.11.2022, खारिज करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

2. आक्षेपित समन आदेश दिनांक 09.11.2022 द्वारा, आवेदकगण को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "भा.दं.सं.") की धारा 498-क, 323, 406 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "द.प्र.अधिनियम") की धारा 3/4 के अधीन अपराधों के विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि 24.10.2019 को परिवाद वाद दाखिल करने से पूर्व, विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री ने अपने पति अजय कुमार शुक्ल के विरुद्ध भरणपोषण हेतु एक वाद दाखिल किया था, और उसने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिला सुल्तानपुर (संक्षेप में "परिवार न्यायालय") के समक्ष 24.10.2019 को दं.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन एक आवेदन भी दाखिल किया था।

4. अग्रेतर कहा गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन दाखिल आवेदन पर, परिवार न्यायालय ने, रु. 15,000/- प्रतिमास का भरणपोषण प्रदान करते हुए एक आदेश दिनांक 08.04.2022 पारित किया है। विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री ने

5.12.2019 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"अधिनियम, 2005") की धारा 12 के अधीन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं. 3, सुल्तानपुर के समक्ष एक अन्य वाद भी दाखिल किया है, जो दांडिक वाद सं. 777 वर्ष 2020 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

5. अग्रेतर कहा गया है कि दांडिक वाद सं. 777 वर्ष 2020 में, मजिस्ट्रेट ने अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अधीन अजय कुमार शुक्ला के विरुद्ध रु. 10,000/- प्रतिमास का भरणपोषण आदेश अधिनिर्णीत किया है। अजय कुमार शुक्ला ने भी 05.12.2021 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद का एक वाद, वाद सं. 1146 वर्ष 2021 दाखिल किया है, जिसमें नोटिस जारी किए गए थे, किन्तु उसकी पत्नी, अर्थात् विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी।

6. अग्रेतर कहा गया है कि आवेदक सं. 2 सशस्त्र बल में सेवारत था और वर्ष 2012 से 2016 तक जिला बीकानेर, राज्य राजस्थान में नियुक्त था। जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा था। और वर्ष 2016 से 2018 तक वह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में श्रीनगर में नियुक्त था, जहां उसे अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति नहीं थी, अतः उसका परिवार उनके पैतृक निवास, रायपुर फुलवारी में रह रहा था, जो उसके पिता द्वारा निर्मित करवाया गया था। वर्ष 2018 से 2020 तक, आवेदक सं. 2 जिला फिरोजपुर, राज्य पंजाब में नियुक्त था। जहां वह अपनी पत्नी, माता और दो बच्चों के साथ निवास कर रहा था ॥

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अग्रतर कहा गया है कि सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति, अर्थात् 31.10.2020, के बाद आवेदक सं. 2 अपने पिता के घर रायपुर फुलवारी में निवास कर रहा है, जो काकवापुर रोड, निकट रेलवे स्टेशन, जिला - अमेठी में स्थित है।

8. अग्रतर कहा गया है कि आवेदक सं. 2 अपने घर में अपनी मां विद्या, और पत्नी पुष्पा के साथ रह रहा है, और आवेदक सं. 4 अपनी पत्नी रत्ना के साथ रायपुर फुलवारी में रह रहा है।

9. यह निवेदित किया गया है कि आवेदकगण, विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री के पति के केवल संबंधी हैं, इसी कारण उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि वे पृथक् निवास कर रहे हैं। आवेदकों के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आवेदन के पृष्ठ सं. 79 से 81 की ओर आकर्षित किया है, जिससे इंगित होता है कि वे काकवा रोड, रायपुर फुलवारी, जिला - अमेठी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

10. आवेदकों का यह एक विनिर्दिष्ट वाद है कि वे घटना के समय वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे पृथक् निवास कर रहे थे, और इसलिए, परिवाद में किए गए सभी अभिकथन मिथ्या और मनगढ़ंत हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि परिवाद में सामान्य अभिकथन अधिरोपित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा, जो पीड़िता का पिता है, कम दहेज दिया गया था। परिवाद में अग्रेतर अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री के ससुराल वालों द्वारा रु. 5 लाख की राशि की मांग की गई थी।

12. आवेदकों के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान विरोधी पक्षकार सं. 2 के प्रति-शपथपत्र दिनांक 15.05.2024 पैरा 14 की ओर दिलाया है, जिसमें प्रकथन किया गया है कि रायपुर फुलवारी में एक घर निर्मित किया गया है, किन्तु आवेदकगण उक्त घर में नहीं रहते हैं। निवेदित किया गया है कि जब विरोधी पक्षकार सं. 2 ने स्वीकृत किया है कि एक पृथक् घर निर्मित करवाया गया है, तो विरोधी पक्षकार सं. 2 यह तर्क नहीं दे सकता है कि आवेदकगण सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उपस्थित थे।

13. अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए, आवेदकगण के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है:

क. *गीता मेहरोत्रा एवं एक अन्य बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य*, (2012) 10 एस सी सी 741;

ख. *कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य*, (2022) 6 एस सी सी 599;

ग. *कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*, 2024 एस सी सी

ऑनलाइन एस सी 2621;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घ. बेलिदे स्वागत कुमार बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2890।

14. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं. 2 की अधिवक्ता सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी ने निवेदित किया है कि आवेदकगण विरोधी पक्षकार सं. 2/परिवादी की पुत्री के पति के परिवार के सदस्य हैं और कि उन्होंने अपराध किया है और वे एक ही घर में रह रहे थे, इसलिए, यह उपधारणा उनके विरुद्ध जाती है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

15. उन्होंने अग्रेतर निवेदित किया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2/परिवादी की पुत्री को हमले के कारण चोटें आई थीं, इसलिए, यह न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, संक्षिप्त विचारण या अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता है।

16. उन्होंने, रेणुका बनाम कर्नाटक राज्य एवं एक अन्य, 2025 आई एन एस सी 596 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है।

17. आवेदकगण के अधिवक्ता, राज्य के विद्वान् अ.शा.अ. और विरोधी पक्षकार सं. 2 की अधिवक्ता सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी को सुना गया।

18. गीता मेहरोत्रा एवं एक (उपर्युक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति के संबंधियों से संबंधित मामले के वर्तमान पहलू पर विचार किया है, जिसमें संप्रेक्षित किया गया है कि यदि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्र.सू.रि., जैसी यह है, उसमें वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन स्पष्ट नहीं किया गया है, तो प्र.सू.रि. में नामित अभियुक्त को यंत्रवत् विचारण के लिए भेजना विधिक और न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा। सुसंगत पैरा एतद्निम्न उद्धृत किए गए हैं:-

"25. तथापि, हम सावधानी के तौर पर यह कहना उपयुक्त समझते हैं कि हमें गलत न समझा जाए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि भले ही किसी मामले में प्र.सू.रि. में नामित परिवार के सदस्यों की सहभागिता दर्शित करने वाले अतिरिक्त कार्य के अभिकथन भी हैं, तो भी संज्ञान लेना अनुचित होगा, बल्कि हम जिस बात पर बल देना चाहते हैं, वह यह है कि यदि प्र.सू.रि., जैसी यह है, उसमें अभियुक्त विशेषकर सह-अभियुक्त के विरुद्ध, विशेषकर वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले में, विनिर्दिष्ट अभिकथन प्रकट नहीं किए गए हैं, तो प्र.सू.रि. में नामित अभियुक्त को यंत्रवत् विचारण के लिए भेजना विधिक और न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा, जब तक कि प्र.सू.रि. में ऐसे विशिष्ट अभिकथन प्रकट न किए जाएं, जिनसे न्यायालय मुख्य अभियुक्त के संबंधियों के, जो प्रथमदृष्ट्या परिवादिनी-पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से यातना देने में सम्मिलित नहीं पाए गए हैं, विरुद्ध अभिकथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रेरित हो सके। यह, इतने अधिक मामलों में, जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता है, प्रतिपादित सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि प्र.सू.रि. में कोई अपराध किया जाना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रकट नहीं किया गया है, तो न्यायालय विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यवाही खारिज करने में न्यायोचित होगा। इसी के साथ, न्यायालयों से, खारिज करने के मामलों में, विशेषकर वैवाहिक कलह के मामलों में, सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है, चाहे प्र.सू.रि., वास्तव में मुख्य अभियुक्त के संबंधियों द्वारा अपराध किए जाने का प्रकटन करे या प्र.सू.रि. में प्रथमदृष्ट्या परिवादिनी की प्रेरणा पर अभियुक्त के संपूर्ण परिवार को सम्मिलित करके अधिक निहितार्थ का मामला सामने आए, जो अपने नए वैवाहिक परिवेश में स्थापित होते समय आरंभिक परेशानी या घरेलू कलह से उत्पन्न अपने हिसाब बराबर करने से उत्पन्न हुआ है।

26. उपलब्ध वाद में, जब मुख्य अभियुक्त श्यामजी मेहरोत्रा के भाई और अविवाहित बहन ने अपने विरुद्ध चल रही कार्यवाही खारिज करवाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर, और इस आधार पर भी, उच्च न्यायालय उपागम किया था, कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 सहित, धारा 498-क/323/504/506, भा.दं.सं. के अधीन उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, तो यह परीक्षा करना उच्च न्यायालय का विधिक कर्तव्य था कि क्या अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या कोई सामग्री है, जिससे कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के प्रश्न के अतिरिक्त, उन्हें विचारण का सामना करने का निदेश दिया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उठाए गए सभी तर्कों को अनदेखा कर दिया था और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देते हुए, केवल क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी।"

19. कहकशां कौसर (उपर्युक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि पति के संबंधियों को तब तक सामान्य अभिकथनों के आधार पर मामले में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांत सामने न आ जाएं। सुसंगत पैरा एतदनिम्न उद्धृत किए गए हैं:

"16. हाल ही में, के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य [के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एस सी सी 452: (2019) 1 एस सी सी (क्रि) 605] में, यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि: (एस सी सी पृ. 454, पैरा 6)

"6. ... वैवाहिक विवादों और दहेज मृत्यु से संबंधित अपराधों में दूर के संबंधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय न्यायालयों को सावधान रहना चाहिए। पति के संबंधियों को तब तक सामान्य अभिकथनों के आधार पर मामले में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांत सामने न आ जाएं।"

17. उपरोल्लिखित विनिश्चय स्पष्ट रूप से दर्शित करते हैं कि इस न्यायालय ने अनेक अवसर पर धारा 498-क, भा.दं.सं. के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में, वाद के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिवादी और अभियुक्त, दोनों पर दूरगामी प्रभाव का विश्लेषण किए बिना, पति के संबंधियों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। उक्त निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि वैवाहिक विवाद के दौरान किए गए सामान्य अभिकथन के माध्यम से झूठा फंसाना, यदि बिना रोक-टोक चलता रहा, तो इससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायालयों को चेतावनी दी है कि वे पति के संबंधियों और ससुराल वालों के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई न करें, जब तक उनके विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला न बनता हो।

18. इस वाद के तथ्यों पर आते हुए, प्र.सू.रि. दिनांक 1.4.2019 की अंतर्वस्तु पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध सामान्य अभिकथन किए गए हैं। परिवादिनी ने अभिकथन किया है कि "सभी अभियुक्तों ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया था और उसका गर्भपात करने की धमकी दी थी।" इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण-यहां में से किसी के विरुद्ध कोई विशिष्ट और पृथक् अभिकथन नहीं किए गए हैं, अर्थात् अपीलार्थीगण में से किसी को भी उनके विरुद्ध किए गए सामान्य अभिकथनों के अग्रेषण में किसी विशिष्ट भूमिका के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। इससे केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें, अपराध के अग्रेषण में प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए, अभिकथन सामान्य और व्यापक हैं, और अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ये छोटे-मोटे झगड़ों के कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किए गए हैं। जहां तक पति का संबंध है, क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है, इसलिए हमने उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों की सत्यता की परीक्षा नहीं की है। तथापि, जहां तक अपीलार्थीगण का संबंध है, उनके विरुद्ध किए गए अभिकथन सामान्य और व्यापक होने के कारण, उनके विरुद्ध अभियोजन अधिकृत नहीं करता है।"

20. कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल (उपर्युक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् संप्रेक्षित किया है:

"14. एक महत्वपूर्ण घटना, जिससे हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि दांडिक कार्यवाहियां विद्वेषपूर्ण आशय से, केवल अपीलार्थीगण को परेशान करने के लिए आरंभ की गई थीं, वह है घरेलू हिंसा का वाद दाखिल किया जाना। 27.02.2013 को सिविल वाद संस्थित किए जाने के पश्चात्, और तत्पश्चात् वर्तमान दांडिक परिवाद/प्र.सू.रि., प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने 06.04.2013 को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन, समान अभिकथनों के आधार पर एक परिवाद दाखिल किया था। घ.हिं. परिवाद, दहेज के समान, मदों का निर्देश करता है, एक स्कॉर्पियो कार, टी.वी., फ्रिज, डी वी डी टेप, चांदी के सामान, 100 से 150 तोला सोना और रु. 5 लाख नकद। पुनः, यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तों ने धमकी दी है कि उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एक बालिका शिशु को जन्म दिया है। अपीलार्थी सं. 2 और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मुनीम, अपीलार्थी सं. 4, के विरुद्ध भी समान अभिकथन हैं। घरेलू हिंसा परिवाद पर विचारण हुआ था और परिणामतः, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जालना का एक विस्तृत निर्णय दिनांक 16.01.2019 किया गया था। हमें बताया गया है कि यह निर्णय और आदेश अब अंतिम हो गया है, क्योंकि उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी। घरेलू हिंसा परिवाद खारिज करते हुए, विद्वान् न्यायाधीश ने निम्नवत् संप्रेक्षित किया है:

"19. प्रतिपरीक्षा के दौरान, आवेदिका ने स्वीकृत किया है कि उसके और प्रत्युत्तरदातागण के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है। पुनः, उसने स्वेच्छा से कथन किया है कि संपत्ति विवाद उसके पति और उसके सास-ससुर के बीच लंबित है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि जहां कहीं भी प्रत्युत्तरदातागण, उसके और उसके पति के नाम पर संयुक्त बैंक खाते हैं, ऐसे मामलों में, प्रत्युत्तरदातागण को उन खातों को संचालित करने से रोक दिया जाएगा और उसे उन्हें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। अग्रेतर प्रतीत होता है कि आवेदिका के परिवार को उसी स्तर का, जैसा प्रत्युत्तरदातागण के पास है, आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

20. उपर्युक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य और स्वीकृति स्पष्ट रूप से यह सुझाव देते हैं कि आवेदिका ने यह वर्तमान आवेदन अपने पति के कहने पर और संपत्ति पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कब्जा करने के परोक्ष हेतुक से प्रस्तुत किया है, जिस संपत्ति का आवेदिका का पति विधि के अन्य उपबंधों के अधीन अधिकृत हो सकता है। आवेदन में प्रयुक्त शब्दावली आवेदिका की स्वार्थी प्रकृति को स्पष्ट करती है। इसलिए, प्रस्तुत परिस्थितियों में, मेरी राय है कि बिना किसी पुष्टिकरण के केवल आवेदिका के साक्ष्य पर विश्वास करना असुरक्षित होगा।

21. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका ने अपने उक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में कोई अन्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि भा.दं.सं. की धारा 498(क) के अधीन दाखिल वाद, आर सी सी सं. 376/2014 है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यह दर्शित करने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि प्रत्युत्तरदातागण को आज तक उस मामले में दोषी ठहराया गया है। इसका अर्थ है कि उक्त अभिकथन अभी तक साबित नहीं हुए हैं और पुष्टिकरण के प्रयोजन से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि घरेलू हिंसा के संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, और तदनुसार मैं बिंदु सं. 1 पर अपना निष्कर्ष "नहीं" के रूप में अभिलिखित करता हूँ।"

21. दहेज की मांग और उत्पीड़न के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बेलिडे स्वागत कुमार (उपर्युक्त)** मामले में, वाद के सुसंगत तथ्यों और **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल,**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1992 सप (1) एस सी सी 335, में पारित निर्णय पर विचार करने के बाद, पैरा 24 एवं 26 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, और प्र.सू.रि. सं. 29 वर्ष 2022, दिनांक 27.01.2022 से उत्पन्न भा.दं.सं. की धारा 498-क के अधीन कार्यवाही खारिज कर दी है। सुसंगत पैरा निम्नवत् उद्धृत किए गए हैं:

"24. प्र.सू.रि. के परिशीलन मात्र से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 द्वारा किए गए अभिकथन अस्पष्ट और सामान्य हैं। यह दावा करने के अतिरिक्त कि पति और उसके परिवार ने, अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, परिवादी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने उत्पीड़न का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है और न ही किसी विशेष घटना का वर्णन किया है। यद्यपि, उसने अभिकथित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कुल एक करोड़ रुपए की मांग की गई थी, किन्तु परिवादिनी-प्रतिवादी सं. 2 इन आरोपों को विस्तार से बताने या उनकी पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, परिवादिनी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 न्यायालय को यह विश्वास दिलाने में विफल रही है कि कथित उत्पीड़न से उसे मानसिक या शारीरिक रूप से किस प्रकार की चोट पहुंची है। अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई दूरस्थ या समीपस्थ कृत्य या चूक दर्शित नहीं की गई है जो उसे भा.दं.सं. की धारा 498-क के अधीन अपराध के लिए उक्त प्र.सू.रि. में उसकी किसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विशिष्ट भूमिका में फंसाती है या उसे निर्दिष्ट करती हो। केवल यह कथन करना कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने दहेज की मांग के संबंध में परिवादिनी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, भा.दं.सं. की धारा 498-क के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है, विशेषकर, जब उक्त अभिकथनों की पुष्टि के लिए अभिलेख पर कोई ठोस सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध न हो। निबंधन "क्रूरता" को बिना किसी विशेष दृष्टांत के साबित नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट विवरण का उल्लेख किए बिना, इन धाराओं का आश्रय लेने की प्रवृत्ति, अभियोजन के वाद को कमजोर करती है और परिवादिनी की वर्णन की संभाव्यता पर गंभीर आक्षेप करती है। इसलिए, यह न्यायालय प्र.सू.रि. में, जो राज्य की आपराधिक तंत्र का आश्रय लेने का आधार है, अनुपस्थित विशिष्टियों को उपेक्षित नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, जिनमें क्रूरता और उत्पीड़न के अभिकथन सम्मिलित होते हैं, सामान्य तौर पर आक्रामक कृत्यों की श्रृंखला होती है, परिवादिनी को, उन अपराधियों को, जिनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने की मांग की गई है, आपराधिक मामलों में सम्मिलित करने के लिए, उनके विरुद्ध विशिष्ट निबंधनों में कथन करना आवश्यक है, और इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, किन्हीं विशिष्टियों को इंगित किए बिना, केवल उत्पीड़न के सामान्य अभिकथन करना, दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



26. उपरोल्लिखित न्यायिक सिद्धांत पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थीयहां के विरुद्ध अभिकथित कोई अपराध स्पष्ट नहीं होता है। वास्तव में, हम पाते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थीयहां के विरुद्ध क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाने के अभिकथन विद्वेषपूर्ण आशय से, अस्पष्ट और सामान्य अभिकथनों के साथ किए गए हैं, और इसलिए, **भजन लाल** के वाद में इस न्यायालय का निर्णय, और विशेषकर उपर्युक्त उद्धृत पैरा 102 के उप-पैरा (1) एवं (7), इन वादों के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं। प्र.सू.रि. और उसके परिणामस्वरूप परिवाद वाद सं. 1067 वर्ष 2022 से उत्पन्न वर्तमान अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना, न तो समीचीन है और न ही न्यायहित में है।”

22. अभिलेख पर विचार करने के पश्चात्, यह भी स्पष्ट होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 2/परिवादी की पुत्री ने 24.10.2019 को परिवार न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया था। उस आवेदन पर, परिवार न्यायालय ने 08.04.2022 को उसके पक्ष में रु. 15,000/- प्रतिमास के भरण-पोषण का आदेश दिया था। उसने 05.12.2019 को मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन एक वाद भी दाखिल किया था। उसके पति/अजय कुमार शुक्ला ने भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद का वाद दाखिल किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विरोधी पक्षकार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सं. 2 की पुत्री ने विभिन्न मामले दाखिल किए हैं और अपने निजी हिसाब-किताब को निपटाने के आशय से, 24.10.2019 को एक परिवाद वाद दाखिल किया गया था। विरोधी पक्षकार सं. 2 की पुत्री द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न वाद यह इंगित करते हैं कि उसका अपने पति के परिवार के अन्य सदस्यों को, जो पृथक् निवास कर रहे हैं, सम्मिलित करने का विद्वेषपूर्ण आशय है। पृथक् निवास का साक्ष्य पृष्ठ सं. 79 से 81 पर प्रस्तुत किया गया है, जो इंगित करता है कि आवेदकगण कफ़ुआ रोड, रायपुर फुलवारी, जिला - अमेठी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने अपने प्रति-शपथपत्र के पैरा 14 में कथन किया है कि आवेदकगण ने कफ़ुआ रोड, रायपुर फुलवारी, जिला - अमेठी, उत्तर प्रदेश में एक घर निर्मित करवाया है, जिससे यह इंगित होता है कि आवेदकगण पृथक् निवास कर रहे हैं। परिवाद में अभिकथन सामान्य प्रकृति के हैं, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि परिवादी की पुत्री के ससुराल वालों और उसके पति द्वारा रु. 5 लाख की राशि की मांग की गई थी। ये अभिकथन अस्पष्ट हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गीता मेहरोत्रा एवं अन्य (उपर्युक्त), कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य (उपर्युक्त), और कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल (उपर्युक्त) और बेलिदे स्वागत कुमार (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में इन्हें संधारित नहीं किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



23. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 19, सुल्तानपुर के न्यायालय में लंबित परिवाद वाद सं. 1604 वर्ष 2019 की दांडिक कार्यवाहियां और आक्षेपित समन आदेश दिनांक 09.11.2022, आवेदकगण/विद्या शुक्ला, अनुपम कुमार शुक्ला, पुष्पा, आलोक कुमार शुक्ला और रत्ना के संबंध में अपास्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

मार्च 17, 2026

मोहित सिंह/-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”